

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

नाबालिक को बहला-फुसला कर भगा ले जाने व दुष्कर्म के आरोप में वांछित बाल अपचारी गिरफ्तार

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 69/2020 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट में वांछित बाल अपचारी नाम पता सुनील पुत्र राकेश उम्र 16 वर्ष निवासी ग्राम गहबा थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि उक्त बाल अपचारी द्वारा दिनांक 24.08.2020 को वादिनी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया था । जिसके क्रम में वादिनी द्वारा दिनांक 25.08.2020 को थाना धर्मसिंहवा पर लिखित तहरीर दे कर अभियोग पंजीकृत कराया था । जिस पर धर्मसिंहवा पुलिस तत्परता दिखाते हुए आज दिनांक 26.08.2020 को उक्त बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

चोरी के सामान व अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा चोरी के सामान के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1- सूर्य प्रताप पाण्डेय उर्फ सूरज निवासी ग्राम गौरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर तथा सुजुकी पुत्र झिनकान हरिजन निवासी गोरयाघाट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को सोलर पैनल की बैट्री के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके क्रम में थाना महुली पर मु0अ0सं0 270/2020 धारा 41/411/413 भादवि पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

सूर्य प्रताप पाण्डेय उर्फ सूरज पुत्र अश्वनी कुमार पाण्डेय निवासी गौरा महुली जनपद संतकबीरनगर के पास से 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस (303 बोर) के साथ गिरफ्तार किया गया जिस क्रम में थाना महुली पर मु0अ0सं0 269 /20 धारा 3/7/5 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 80 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 09 अभियुक्तगण गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब बनाने व विक्री कर रहे 07 अभियुक्त नाम पता 1- पिंटू राजभर पुत्र स्व0र शत्रुधन 2- गोविन्द कुमार स्व0 शत्रुधन 3- मोनू राजभर स्व0 दलसिंगार 4 – प्रदीप कुमार पुत्र सागर राजभर 5 – कैलाश नाथ राय पुत्र स्व0 रामभरोसे राय 6 – राजू निषाद पुत्र स्व0 मोती निषाद 7- अजय निषाद पुत्र स्व0 मोती निवासीगण ग्राम जंगल बेलहर थाना बेलहरकला जनपद को 05 अदद भट्टी शराब बनाने का उपकरण व 70 लीटर

अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर क्रमश मु0अ0 सं0 152/20, 153/20, 154/20, 155/20, 156/20, 157/20, 158/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब की विक्री कर रहे 02 अभियुक्त नाम पता 1- धर्मेन्द्र यादव पुत्र शंभू निवासी नन्दौर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 2- छांगुर प्रसाद पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी लोहरी बारी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को (05-05) कुल 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर क्रमशः मु0अ0सं0 304/2020 व 305/2020 धारा 60 आबकारी जनार्दन पुत्र जयराम निवासी धनखिरिया थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 302/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1485 द्वारा मारपीट के विवाद को कराया शांत – पीआरवी 1485 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत से इवेन्ट संख्या 08737 से कालर आकाश ने काल कर मार्ग दुर्घटना में दो व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 06 मिनट में पहुँचकर घायल हुए व्यक्ति को 108 वाहन एम्बुलेंस वाहन से जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा दुर्घटना के संबन्ध में कोतवाली खलीलाबाद को कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहले पहुंचकर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 कामेश्वर सिंह, मु0आ0 विजय प्रताप यादव, आ0चा0 दीपेन्द्र गुप्ता, ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना महली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 106 वाहनो से 104900 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनांक 26-08-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 106 वाहनो से 104900 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।